भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3052

उत्तर देने की तारीख : 30.03.2022

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण पदों पर पार्श्विक प्रवेश

3052 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:
श्रीमती छाया वर्मा:
श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण पदों पर पार्श्विक प्रवेश (लेट्रल एंट्री) की अनुमति देने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कमजोर करने के लिए लेट्रल एंट्री को बढ़ावा दे रही है;
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) यदि नहीं, तो लेट्रल एंट्री की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रचनात्मकता, नवाचार और रोजगार पर ध्यान देने के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और उद्योग के बीच अधिक सहयोग की परिकल्पना की गई है। इस तरह की पहल न केवल उच्च शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के अंतराल को दूर करेगी बल्कि पाठ्यक्रम को समृद्ध करेगी और छात्रों की रोजगार क्षमता में मदद करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय के स्वीकृत पदों को प्रभावित किए बिना, मौजूदा औद्योगिक अनुभव के आधार पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसे पदों के सृजन की संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसे प्रावधान आईआईटी में पहले से मौजूद हैं।

*****